


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017-18 के प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष पदों के विरुद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन आदेश दिनांक 25.09.2017 को ब-जरिए काउंसलिंग सहमति पत्र के आधार पर किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 25.9.17 के विरुद्ध श्रीमती सरोज सोलंकी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट संख्या 12874/2017 दायर की गई। उक्त याचिका के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 द्वारा प्रार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त कर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विभागीय पदोन्नति सम्बन्धी नियमों के तहत परीक्षण करते हुए विभागीय आदेशांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सरोज/याचिका/12874/2017 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा याचिकार्थी के अभ्यावेदन खारिज किया गया था।

प्रार्थिया द्वारा उक्त अभ्यावेदन खारिज किये जाने सम्बन्धी विभागीय आदेश दिनांक :: 21.11.2017 को चुनौति देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एक अन्य याचिका एस.बी.सिविल याचिका संख्या-16503/2017 श्रीमती सरोज सोलंकी बनाम सरकार व अन्य के क्रम में ए.ए.जी. के पत्र दिनांक 15.12.2017 में दी गई रॉय के आधार पर श्रीमती सरोज सोलंकी, वर्तमान प्रधानाचार्य, रा0आदर्श उमावि, सिनाली जागीर, बालोतरा जिला बाड़मेर को राजकीय आदर्श उमावि, राजासर-करणीसर जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है। अतः उक्त संशोधित पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-16503/2017 श्रीमती सरोज सोलंकी बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन जारी किया जा रहा है।

उक्त प्रधानाचार्य/याचिकार्थी को नव-संशोधित पदस्थापन स्थान पर तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने तथा शालादर्पण से सम्बन्धित सभी आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है, सभी सम्बन्धित सूचित हो।


  
(नथमल डिडेल)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/याचिका-12874/17/सरोज/2017 दिनांक : 18 दिसम्बर, 2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है :-

- 01- विशिष्ट सहायक कार्यालय राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 02- शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 03- सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा।
- 04- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा।
- 05- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विधि, जोधपुर।
- 06- अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनके पत्रांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जोध./29893/आई/2017 दिनांक 15.12.2017 के क्रम में।
- 07- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपडेट करावें।
- 08- सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
- 09- रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका हेतु।

  
सयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर